न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 1293–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–2–13 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर जिला शहडोल प्रकरण क्रमांक 22/12–13 अपील.

———

जमुनाप्रसाद सराफ आत्मज मंगलप्रसाद सराफ
निवासी किरण टॉकीज के पास,
शहडोल म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– मनोहरलाल आत्मज बाबूलाल सराफ (मृत) वारिसान –

अ– श्रीमती आशा पत्नी स्व. मनोहरलाल
ब– शैलेन्द्र उर्फ शीलू पुत्र स्व. मनोहरलाल
स– नीरज पुत्र स्व. मनोहरलाल
द– राहुल पुत्र स्व. मनोहरलाल

2– गोरी सराफ आत्म्जा बाबूलाल सराफ

3– सुनील सराफ आत्मज बाबूलाल सराफ

4– गणेश सराफ आत्मज बाबूलाल सराफ

सभी निवासी किरण टॉकीज के पास, शहडोल

तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म.प्र. ——— अनावेदकगण

———

श्री मुकेश बेलापुरकर, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री मुकेश भार्गव, अधिवक्ता अनावेदकगण ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर जिला शहडोल के अपील प्रकरण क्रमांक 22/12–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 11–2–13 से

असंतुष्ट होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 178 के तहत ग्राम सौखी तहसील सोहागपुर की प्रश्नाधीन आराजी कुल किता 3 कुल रकबा 3.784 हैक्टर के बटवारे हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में पेश किया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई और आवश्यक कार्यवाही पश्चात अपने आदेश दिनांक 30.9.11 द्वारा आवेदन पत्र खारिज किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की । एस.डी.ओ. ने अपने आदेश दिनांक 11–2–13 द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया और प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि विभाजन की कार्यवाही उभयपक्ष की उपस्थिति में करें । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक जमुनाप्रसाद द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि व्यपवर्तित भूमि के विभाजन करने का अधिकार तहसील न्यायालय को नहीं है । धारा 178 के तहत धारा 59 के अधीन कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया हो, उसी खाते का विभाजन किया जा सकता है । उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण के विरूद्ध निगरानी विचाराधीन है, इसलिए भी धारा 178 का आवेदन तहसीलदार द्वारा खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी, किंतु अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त दोनों बिंदुओं पर कोई निष्कर्ष निकाले बिना तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है । अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसके पिता बाबूलाल सराफ प्रश्नाधीन भूमि के सहभूमिस्वामी राजस्व अभिलेख में अंकित थे । बाबूलाल सराफ की मृत्यु के बाद उनके वारिसान का नामांतरण तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी में किया गया है । अनावेदकगण अभिलिखित सह–भूमिस्वामी हैं, इस कारण संहिता की धारा 178 एवं बटवारा नियमों के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि के विधिवत बटवारा करने के आदेश देने में अनुविभागीय अध्रिाकारी द्वारा कोइ नहीं की है । अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया गया ।

5– उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह

प्रकरण बटवारे का है । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । उन्होंने यह पाया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक एवं अनावेदक के सहखाते की भूमि है किंतु इस तथ्य को विचारण न्यायालय ने अनदेखा किया है । यह भी पाया है कि विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के तहत विधिवत आदेश पारित नहीं किया है तथा आपसी हिस्सा बांट व कब्जे के मुताबिक पुल्ली तैयार नहीं कराई गई है और उक्त आधार पर उन्होंने तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है । अनुविभागीय अधिकारी का यह निष्कर्ष कि पक्षकारों के मध्य उनके कब्जे व हक के अनुसार भमि का बटवारा किया जाना चाहिए और बटवारा किए जाने के पूर्व फर्द पुल्ली का प्रकाशन तथा बटवारे की भूमि की किस्म, सिंचित/असिंचित/एक फसली/दो फसली तथा परिसम्पत्तियों का विवरण होना चाहिए उचित एवं न्यायिक है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–2–13 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर